निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 536) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं० 08/आरोप–01–78/2014–4366–सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
11 अप्रील 2017

श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–213/11 के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, अररिया के पदस्थापन काल से संबंधित कतिपय आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11201, दिनांक 19.09.2010 द्वारा प्राप्त हुआ। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी उक्त आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक–702, दिनांक 19.01.2011 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–822, दिनांक 21.01.2011 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत कालान्तर में संकल्प ज्ञापांक–16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए **निन्दन एवं दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड** संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की। एतद्संबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं० 6431/14 में दिनांक 11.03.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री सिंह को संसूचित दंड (संकल्प ज्ञापांक–16908, दिनांक 28.10.2013) वापस लेते हुए नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से कार्रवाई आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार निर्गत संकल्प ज्ञापांक–7074 दिनांक 18.05.2016 के क्रम में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक–90, दिनांक 27.06.2016) प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर तथ्यों की समेकित समीक्षा की गयी तथा एम०आई०एस० डाटा इन्ट्री, स्वयं सहायता समूह के गठन, मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन एवं इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृति संबंधी कार्यो की प्रगति अत्यन्त दयनीय पाये जाने में श्री सिंह के कृत्य में समुचित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधी जवाबदेही का निर्वहण नहीं किये जाने संबंधी आरोपों की पुष्टि हुई। इस प्रकार आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–15482 दिनांक 17.11.2016 द्वारा श्री सिंह को **कालमान वेतन में एक वेतन वृद्वि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन ह्रास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा)** संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश की कंडिका–6 के अनुपालन में निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.2011 से दिनांक 28.10.2013) के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक–16827 दिनांक 20.12.2016 के आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (दिनांक 21.02.2017) प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भत्ता का भुगतान संबंधी दावा प्रस्तुत करते हुए यह उल्लेख किया है कि उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप साधारण प्रकृति के थे, उसमें वित्तीय क्षति का मामला सन्निहित नहीं था एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रीट याचिका सं०–12301/13 में दिनांक 30.08.2013 को

पारित आदेश के अनुसार उनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। स्पष्टीकरण में कहा गया कि संचालन पदाधिकारी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को अप्रमाणित बताया परन्तु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असहमति के बिन्दुओं का गठन कर बिना किसी साक्ष्य के ही उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दंड संसूचित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर मामले की गहन समीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि श्री सिंह के स्पष्टीकरण में माननीय न्यायालय के संदर्भित आदेश के संबंध में की गयी विवेचना तथ्य से परे एवं भ्रामक है। वस्तुतः विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध ही उनके द्वारा दायर एक अन्य रीट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–6431/14) में दिनांक 28.10.2013 को आदेश पारित हुआ। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री सिंह को संसूचित दंड वापस लेते हुए नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से कार्रवाई आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य समुचित रूप से नहीं किये जाने के संबंधी प्रमाणित आरोपों पर कोई तथ्य/बचाव प्रस्तुत नहीं किया। इस आलोक में उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–15482 दिनांक 17.11.2016 द्वारा पारित दंडादेश के क्रम में श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.2011 से दिनांक 28.10.2013) के संबंध में निम्नवत् आदेश पारित किया जाता है:–

''निलबंन अवधि के लिए श्री सिंह को जीवन–यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि सेवावधि के रूप में मान्य होगी।''

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)536+571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in